



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डी० रमाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लॉक नं. 5, पंचम रात, कमरा नं. 801
जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. के पास, जयपुर-302017 E-mail: primarypre@yahoo.com

क्रमांक : राजस्कूलशिप/पूर्व प्राथमिक शिक्षा/Portfolio/cfile No.139/2024-25/7962159 दिनांक 28.06.2024

बालवाटिका संचालित विद्यालय (महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय) पोर्टफोलियो दिशा-निर्देश 2024-25

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 व NCF-FS की अभिरक्षाओं के क्रम में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है, जो शिक्षा के नियम के रूप में परिभाषित की गई है तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास की अपेक्षा की गई है। समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों का गतिविधि आधारित शिक्षण तथा सतत आंकलन किया जाए। सतत आंकलन के लिए पोर्टफोलियो प्रभावी दूल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (1006) में संचालित पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण Early Childhood Care & Education (ECCE) एवं 03 वर्ष की आयु से ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं प्रभावी बनाने के लिए समग्र शिक्षा की स्टारस वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में "Child Portfolio Folder for Pre-Primary" गतिविधि हेतु 1006 बालवाटिकाओं के लिए (प्रति बालवाटिका 40 विद्यार्थियों हेतु) 100/- रुपये प्रति विद्यार्थी राशि अनुमोदित की गयी है। उक्त राशि को प्रति बालवाटिका के अनुसार जिलों को जारी किया जाना है एवं जिलों द्वारा संबंधित ब्लॉक को राशि जारी कर विद्यालय स्तर पर गतिविधि सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित करें। गुणात्मक शिक्षा के विकास हेतु विद्यालयों में पोर्टफोलियो संचारण के क्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं-

उद्देश्य -

- विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को समग्र रूप से देखना।
- सृजनात्मक कार्यों के अवसर प्रदान करते हुए सहभागिता का आंकलन।
- सह-शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता का समेकित निरूपण करना।
- विकासात्मक आयाम के अनुसार विद्यार्थी की प्रगति का समग्र रूप से अध्ययन करना।

विशेष निर्देश -

- एक निश्चित अवधि में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 3 से 6 आयुवर्ग वाले बच्चों की उत्तरांतर अधिगम उपलब्धि के संघयी साक्ष्य के रूप में 3 वर्ष तक एक ही पोर्टफोलियो समेकित रूप में संचारित किया जाना है। पोर्टफोलियो बच्चों की प्रगति का दर्पण है। पोर्टफोलियो के प्रारम्भ में विद्यार्थी का बेसिक प्रोफाइल क्लर पेज में प्रिंट करवाकर लगाया जाए।
- इसमें बच्चे की कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में रचनात्मक एवं योगात्मक आंकलन के दौरान अकादमिक प्रगति के साक्ष्य जैसे- आयामवार नियमित कार्यपत्रक, मौखिक गतिविधियों के आधार पत्र एवं सृजनात्मक कार्यों इत्यादि के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास संबंधित दस्तावेज संकलित किए जाए।

RajKaj Ref
7962159



Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

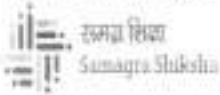
- वर्षपर्यन्त बच्चे द्वारा किये गये कार्यों के दस्तावेज जैसे – कार्य पत्रक, सृजनात्मक कार्य से संबंधित प्रपत्र आदि पोर्टफोलियो में संकलित किये जाए जो बच्चों की विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार अधिगम प्रगति को समयवृद्ध रूप से दर्शाते रहे।
- बच्चे के सृजनात्मक कार्यों यथा मानसिक, शारीरिक विकास के खेलों, नियमों का पालन, आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी, रचनात्मक, कलात्मक और उत्कृष्ट विकासात्मक कौशल के लिए कला गतिविधियों में भागीदारी, संख्यात्मक कौशल और पर्यावरण जागरूकता, मौखिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन, उभरते पठन व लेखन कौशल का प्रदर्शन आदि का समावेश पोर्टफोलियो फाइल में पृथक-पृथक संघारित किया जाए।
- बच्चों के द्वारा कक्षा-कक्ष में किए गए अभ्यास कार्य का नियमित आंकलन/मूल्यांकन किया जावे। इसके अन्तर्गत बच्चे के द्वारा की गई त्रुटियों को संकेत के माध्यम से हाईलाइट किया जाए। साथ ही इन त्रुटियों के सुधार के लिए यथा समय पर्याप्त अवसर दिये जाने हैं, जिससे बच्चों के द्वारा किए गए कक्षा-कक्षीय कार्यों का समुचित मूल्यांकन कर सुधार के अवसर प्रदान किए जा सकें।
- पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्यपत्रक विकासात्मक लक्ष्यों वार संघारित कर शिक्षक द्वारा अवलोकन टिप्पणी अंकित की जाए। अवलोकन टिप्पणी सार्थक एवं सकारात्मक हो। बच्चे द्वारा सृजित मौखिक चित्र आदि को शामिल किया जावे।
- विकास के आयामों से संबंधित अलग-अलग कार्यपत्रक लगाए जावे। न्यूनतम 20 कार्यपत्रक पोर्टफोलियो में संघारित किए जावें।
- पोर्टफोलियो फाइल कवर पर स्कूल का नाम, सत्र, बच्चे का नाम, लिंग एस.आर. नम्बर जन्मतिथि, माता पिता का नाम, एवं सम्पर्क हेतु मोबाइल नम्बर व पता अंकित किया जावे। बच्चों की फाइल पर पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जावे।
- शिक्षक द्वारा बच्चे के कार्यपत्रकों पर गुणात्मक टिप्पणी लिखी जाए। टिप्पणी में बच्चे के कार्य के बारे में ऐसी टिप्पणी करें जिससे पता चले कि उसने कार्यपत्रक में क्या गलती की है। सीखने के प्रति बच्चे में सकारात्मक सोध विकसित हो एवं भयमुक्त होकर अधिगम कर सकें।
- पोर्टफोलियो में जांच के पश्चात् कार्यपत्रक में शिक्षक द्वारा मय दिनांक हस्ताक्षर एवं नाम अंकित किया जावे।
- पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्यपत्रकों को पीटीएम/एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में माता-पिता/संरक्षक के साथ बच्चे की प्रगति को साझा किया जावे एवं बच्चे की अतिविशिष्ट योग्यता से अभिभावक को अवगत कराया जावे।
- बच्चों के पोर्टफोलियो का अवलोकन कर विद्यालय की भित्ती पत्रिका पर कार्यपत्रक को प्रदर्शित किया जावे।
- संस्था प्रधान/पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा कलस्टर की बैठकों में विशिष्ट पोर्टफोलियो फाइल का प्रदर्शन कर कार्यपत्रकों को अन्य विद्यालयों को प्रेरणा हेतु साझा किया जावे।
- पोर्टफोलियो हेतु प्राप्त राशि रुपये 100/- का उपयोग निम्नानुसार किया जाए:-

पोर्टफोलियो फाइल (मोटे कवर व रिप्रिंग सहित अच्छी गुणवत्ता युक्त)	30/- रुपये
विद्यार्थी की फोटो	20/- रुपये
विद्यार्थी प्रोफाइल पेज प्रिंट (कलर)	

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

Student profile page

Student Photo

School Name :

Portfolio

Session

Student Name :

Class :

Father Name :

Mother Name :

Gender :

Date of Birth :

S.R. No. :

NIC ID : Aadhaar No.

Address :

Mobile No. (Father) : Mother

Height : Weight

Area of interest :

Remark :

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

हमारे दायित्व :-

जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में :-

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार समय पर राशि के उपयोग हेतु ब्लॉक के लिए लिमिट जारी कराना।
2. ब्लॉक एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. जिला, ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. जिले के चयनित विद्यालयों में चाइल्ड पोर्टफोलियो की उपलब्धता, संधारण सुनिश्चित कराना।

ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के रूप में :-

1. अनुमोदित आवंटित राशि के अनुसार विद्यालय स्तर पर गतिविधि सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करें।
2. क्लस्टर एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में चाइल्ड पोर्टफोलियो की उपलब्धता, संधारण सुनिश्चित कराना।

क्लस्टर स्तरीय अधिकारी एवं संस्थाप्रधान के रूप में :-

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार समय पर राशि के उपयोग हेतु गतिविधियों का आयोजन कराना।
2. परिक्षेत्र के विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. क्लस्टर स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. निर्देशानुसार क्लस्टर के चयनित विद्यालयों में चाइल्ड पोर्टफोलियो की उपलब्धता, संधारण सुनिश्चित कराना।

प्रभारी शिक्षक/संस्थाप्रधान के रूप में :-

1. विद्यार्थी का प्रोफाइल पेज तैयार कर पोर्टफोलियो फोल्डर बनाना/तैयार करना।
2. विद्यार्थी की फोटो बनवाकर पोर्टफोलियो में लगवाना।
3. पोर्टफोलियो में बच्चे के द्वारा सृजित पत्रकों को संधारित करना। शिक्षक द्वारा गुणात्मक टिप्पणी दर्ज कर प्रतिपुष्टि प्रदान करना।
4. पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्यपत्रकों को पीटीएम/एसएनसी/एसडीएमसी बैठक में माता-पिता/संरक्षक के साथ बच्चे की प्रगति को साझा किया जावे एवं बच्चे की अतिविशिष्ट योग्यता से अभिभावक को अवगत कराया जावे।
5. संस्था प्रधान के साथ समन्वय कर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

विशेष :-

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जावे।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में राशि प्राप्ति के 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (<https://samagrashiksha.in>) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार एवं लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- सामग्री का क्रय राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कर, स्थायी, अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करवाकर सामग्री का सदुपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करें। गतिविधि पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : सुकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक, प्राशि एवं माशि, राजस्थान-बीकानेर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप-जयपुर।
4. निजी सहायक, अति, राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्कूलशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त-प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
7. उपायुक्त-स्टांस, राजस्कूलशिप, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. उपनिदेशक-शाला दर्पण, राजस्कूलशिप, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावे।
10. जिला प्रभारी (OIC) समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि प्रभारित जिले में गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए गतिविधि का सम्पादन करावे।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक — समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. अति, जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. संस्थाप्रधान — संबंधित विद्यालय।
14. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक

क्रमांक

दिनांक

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर फॉर प्री-प्राइमरी सेक्शनस

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	चयनित विद्यालयों की संख्या	प्राप्त लिमिट (राशि)	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर नहीं बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1									

हस्ताक्षर प्रभारी

हस्ताक्षर एडीपीसी

उक्त प्रपत्र जिला स्तर से समेकित कर राज्य स्तर को प्रेषित किया जाये।

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

क्रमांक

दिनांक

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ब्लॉक स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर फॉर प्री-प्राइमरी सेक्शनस

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	चयनित विद्यालयों की संख्या	प्राप्त लिमिट (राशि)	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर नहीं बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1								

हस्ताक्षर प्रभारी

हस्ताक्षर सीबीईओ

उक्त प्रपत्र ब्लॉक स्तर से समेकित कर जिला स्तर को प्रेषित किया जाये।

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

कार्यालय ब्लॉक जिला
क्रमांक दिनांक

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर फॉर प्री-प्राइमरी सेवशन्स

क्र. सं.	क्लस्टर का नाम	चयनित विद्यालयों का नाम	प्राप्त लिमिट (राशि)	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर नहीं बनाने वाले विद्यालयों की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1								

हस्ताक्षर प्रभारी

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

उक्त प्रपत्र क्लस्टर स्तर से समेकित कर ब्लॉक स्तर को प्रेषित किया जाये।

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved

Child Portfolio folder for Pre-Primary Sections
District wise count (1006 MGGS)

S.No.	District	No. of School
1	AJMER	33
2	ALWAR	47
3	BANSWARA	31
4	BARAN	18
5	BARMER	19
6	BHARATPUR	34
7	BHILWARA	17
8	BIKANER	52
9	BUNDI	15
10	CHITTAURGARH	29
11	CHURU	53
12	DAUSA	24
13	DHAULPUR	19
14	DUNGARPUR	34
15	GANGANAGAR	17
16	HANUMANGARH	25
17	JAIPUR	137
18	JAISALMER	8
19	JALOR	14
20	JHALAWAR	9
21	JHUNJHUNUN	51
22	JODHPUR	29
23	KARALI	27
24	KOTA	20
25	NAGPUR	34
26	PALI	30
27	PRATAPGARH	19
28	RAJSAMAND	16
29	S.MADHOPUR	11
30	SIKAR	63
31	SIROHI	19
32	TONK	13
33	UDAIPUR	39
Grand Total		1006

RajKaj Ref
7962159

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.28 10:51:58 IST
Reason: Approved